संख्या-9/2016/45/एक-6-2016-15(07)/2014

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 22 फरवरी, 2016**

विषय: अनुदान संख्या-52 के लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय प्रशासन सामान्य सेवायें- 099-राजस्व बोर्ड-03-राजस्व परिषद-02 मजदूरी मद के अन्तर्गत बचतो से पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4407/14 (बजट)-2052/15-16, दिनांक 06-01-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजस्व परिषद कार्यालय के अधिष्ठान मजदूरी मद में कुल रू0 13.92 लाख (रू0 तेरह लाख बानवे हजार मात्र) की धनराशि बचतों से पुनर्विनियोग (पुनर्विनियोग से संबंधित पप्रत्र बी0एम0-9 भाग-1 संलग्न) के माध्यम से आहरण कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है।

1- उक्त व्यय नियमानुसार बजट मैनुअल तथा प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशो में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत मदों के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में ही किया जायेगा। अवशेष की स्थिति में धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

2- उक्त व्यय अनुदान संख्या-52 के लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय प्रशासन सामान्य सेवायें-099-राजस्व बोर्ड-03-राजस्व परिषद-02 मजदूरी मद में उल्लिखित मानक के सम्मुख उपलब्ध हो रही बचतो से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक :यथोक्त ।

भवदीय,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-9/2016/ 45(1)/एक-6-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संलग्नक की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद लेखा परीक्षा-1/2
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3- अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा), राजस्व परिषद, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ ।
5- निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय- नियन्त्रण) अनुभाग-5
7- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।